

कार्यालय कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 12 अ-82/19-20/कोलगांव/4685 बैतूल दिनांक 15-5-2020
घोषणा 16

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	6
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	कोलगांव	18.029	चौकी-कोलगांव जलाशय हेतु भूमि का अर्जन

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्रमांक	भूमिस्वामी कृषक का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	प्रमोद व० मोहनलाल जाति तेली सा० देह	211/18	1.914	1.914
2	नितिन व० मोहनलाल जाति तेली सा० देह	211/4	1.728	0.959
3	लीलाबाई जौजे उद्वावराव जाति मराठा सा० देह	211/3	0.999	0.999
4	सोना बेवा टंटी, राजू व० टंटी जाति किराड सा० देह	211/7	0.685	0.230
5	मुन्नू व० कुंवरलाल जाति अ०जा० सा० देह	211/16	1.619	0.631
6	धनराज व० कुंवरलाल जाति अ०जा०सा० देह	211/17	1.718	0.696
7	अमरलाल व० भोदू, रामकली, सोमती, शिवकली, श्यामकली, पुत्रीभोदू, चन्द्रभागा बेवा भूरा, सुखनंदन, संतोष, सावन्या व० भूरा, सोमती, सुगन्ती, पुत्री भूरा, सतोका जौजे भभीचंद, रामरतन, मंगल, सुखदेव व० सुखराम मैनाबाई बेवा तिलक, रविशंकर, शिवशंकर व० तिलक, तारा अंजीरा पुत्री तिलक, शिवरती बेवा बंशी, कमलेश, संजू मनोज, दिलीप पप्पू व० बंशी जातिकिराड सा० देह	342/1	4.618	3.024
8	राजेन्द्र व० मनीराम जाति किराड सा० देह	342/2	1.828	0.444
9	दिनेश, गणेश, व० प्रेमलाल, जाति तेली सा० देह	343/1	3.448	2.039
10	जनकलाल व० पूनाजी जाति तेली सा० देह	343/2	3.035	2.762
11	जमुना बेवा दमड़या, सोमा, गोमा, रामा पिता दमड़या, सरस्वती, सुग्रीव पिता दमड़या, जाति कोरकू सा० देह	344	6.475	1.376
		346	1.720	1.057
		347	0.109	0.029
12	श्रावन व० वात्या अ०जा० सा० देह	349	2.582	1.869
	योग		32.478	18.029

- (2) चूंकि चौकी-कोलगांव जलाशय, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार ,



(रिकेश सिंह) 15/5/2020

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

2

पू0क0 12 अ-82/19-20/ कोलगांव/4685
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 15-5-2020
76

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में)अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन बैतूल जिले के सर्वाधिक प्रकाशित दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक-2 बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन की पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार बैतूल की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं ग्राम पंचायत पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

अपर कलेक्टर एवं
प्र0अ0भू-अर्जन बैतूल

9

1
27-5-2020